



राजस्थान सरकार

## न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी

प्रकरण संख्या 12/2025

प्रार्थी/सायल  
राजस्थान सरकार जरिये  
हल्का पटवारी बांटा

बनाम

अप्रार्थी/गैर सायलान्  
तुलसाराम पुत्र जीयाराम वीराराम पुत्र  
प्रभुराम जाति मेगवाल निवासी  
गादेश्वरी बांटा  
तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91(2) राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 12.11.2025

### निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का बांटा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा गादेश्वरी राजकीय भूमि ख.न. 323/238 रकबा 0.1663 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता(राजकीय भूमि) में से 0.1663 हैक्टेयर भूमि पर (0.0009 हैक्टेयर छीने खड़ी कर छत विहीन कमरा) व शेष भाग पर बाड़ बनाकर अतिचार/अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। अतः गैर सायलान् के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने तथा उक्त भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान् को नोटिस जारी किये गये।

गैर सायलान् को सुनवाई का दुबारा अवसर दिया गया। सुनवाई की नियत तिथि 12.11.2025 को सायल उपस्थित। गैर सायल तुलसाराम पुत्र जीयाराम सनुवाई की नियत तिथि से पूर्व दिनांक 11.11.2025 उपस्थिति। गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर दिनांक 11.11.2025 को जवाब हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न पत्रावली किया गया। एवम् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अध्ययन एवम् अवलोकन किया गया। गैर सायलान् द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में कोई ठोस जवाब, साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किये गये। गैर सायलान् द्वारा प्रार्थना पत्र में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी विचाराधीन होना बताया गया। जबकि उक्त के संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा उक्त खसरे में किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं दिया गया। अतः गैर सायलान् द्वारा गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण करके रास्ता बंद कर रखा है। जिससे आमजन, विद्यार्थियों, मरीजों को आवागमन में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए की मूल भावना बाधित हो रही है। आमजन को उक्त रास्ते की अत्यावश्यकता होने से गैर सायलान् के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि सरकारी भूमि(गैर मुमकिन रास्ता) है। जिस पर गैर सायलान् का अनाधिकृत कब्जा होने से ग्रामीणों, काश्तकारों का सुखाचार का अधिकार प्रभावित हो रहा है। रास्ते की अत्यावश्यकता होने से उक्त प्रकरण में विलम्ब किया जाना उचित नहीं है। अतः गैर सायलान् को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाकर लगान 0.05 रुपये का राउण्ड अप 01 रुपये का 50 गुना शास्ति आरोपित करते हुए 50 रुपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। गैर सायलान् को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। तथा मौके पर छीने खड़ी करके बनाये गये कमरे का हटाते हुये सरकारी तहवील में लेने, बेदखली एवं जुर्माना वसूली हेतु हल्का पटवारी, ILR तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ईश्वरलाल सोलंकी)

तहसीलदार गुड़ामालानी